श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा, माननीय स.वि.प. से प्राप्त ध्यानाकर्षण संख्या-155/17 से उद्‌भूत आश्वासन संख्या-1/185

प्रश्न	उत्तर/ आश्वासन	अनुपालन प्रतिवेदन
सीतामढ़ी जिलान्तर्गत ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा मेसर्स रामसखा चौधरी को अधवारा रिभर प्रोजेक्ट कार्यपालक अभियंता बागमती, सीतामढ़ी से संविदा अर्थ वर्क संबंधी कार्य हेतु वर्क ऑर्डर दिनांक-20.11.2012 को हुआ जिसमें हाईड्रोलिक, डोली, ट्रैक्टर, कम्पेक्शन के माध्यम से कुल 3 करोड़ 41 लाख, 10 हजार 388 रूपया का काम किया गया। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से डीजल की कीमत 50 रूपए प्रति लीटर तय की गई जिसमें कुल डीजल की खपत 21,56,61.32 लीटर हुआ जिसका कुल कीमत 1,078,30,66 रूपया हुआ था जिसमें ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 1 करोड 54 लाख 99 हजार 9 सौ 48 रूपया का भुगतान बैंक द्वारा 1 प्रतिशत टी.डी.एस. काटकर मेसर्स रामसखा चौधरी को किया गया एवं साइट मेजरमेंट से आए कुल खर्च 22 लाख 70 हजार 668 रूपया का भुगतान फर्म को दिए गए रकम में से ही करवाया गया। शेष 97 लाख 56 हजार 938.12 रूपया ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा रख लिया गया। ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बकाया राशि में से पार्ट पेमेंट के रूप में 12 लाख 50 हजार रूपया का भुगतान चेक संख्या-130617 राशि 2,50,000/- रूपया दिनांक-05.10.2016 एवं चेक संख्या 130021 द्वारा 2,50,000/-रूपया दिनांक-25.10.2016 को तीन चेक द्वारा कुल 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रूपए मात्र) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के सं संख्या-07092, हिन्दुअन सिटी, जिला-करौली, राजस्थान, पिन कोड-322230, आई.एफ.ए.सी. कोड एस.बी.आई.एन. 0007092 का ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यशदीप गुप्ता एवं राकेश बाहरी के हस्ताक्षर से प्रदान किया गया। जिसको मेसर्स रामसखा चौधरी ने	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मंत्री): महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अधवारा नदी के बायें एवं दायें तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के न्यूनतम दर दाता मेसर्स ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली से दिनांक 15-5-2012 को कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल संख्या-1 सीतामढ़ी, वर्तमान में बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा एकरारनामा किया गया । तदनुसार मेसर्स ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अधवारा नदी के बाये एवं दाये तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है। उक्त एकरारनामा से संबंधित उपलब्ध अभिलेख में मेसर्स रामसखा चौधरी किसी भी रुप में मेसर्स ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नई दिल्ली के सब कंट्रैक्टर के रुप में नामित नहीं है। साथ ही मेसर्स ब्रह्मपुत्रा इन्फर्फास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स रामसखा चौधरी को दिये गये किसी भी वर्क आर्डर की जानकारी विभाग को नहीं है। अतः मेसर्स रामसखा चौधरी के बकाये राशि के भुगतान का मामला किसी भी रुप में जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है। प्रसंगाधीन कार्य में बरती गई अनियमितता के संबंध में प्राप्त परिवाद के आलोक में इसकी जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गई एवं उनसे प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है। साथ ही संवेदक मेसर्स ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। उक्त के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-12336/2015 दायर किया गया।	वस्तुस्थिति यह है कि बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग से करायी गयी है,अधिकाई भुगतान के संबंध में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा थाने में कांड संख्या-332/16 दिनांक-19.12.2016 द्वारा दोषी विभागीय पदाधिकारियों एवं संवेदक/संवेदक प्रतिनिधियों पर प्राथमिकी दर्ज है, जिसका अनुसंधान प्रक्रिया में है। तकनीकी परीक्षक कोषांग की जाँच के फलाफल के आलोक में संवेदक से कार्य के अंतर्गत कराये गये कार्य के लीड मद में अधिकाई भुगतान के कारण लीड प्लान मद में रू॰ 3.00 करोड़ की वसूली की गयी है, जिसके विरूद्ध संवेदक द्वारा Arbitration Case No.-04/2017 दायर किया गया है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

अपने खाता संख्या-44250200000015 बैंक ऑफ बडौदा शाखा-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी में भुगतान हेतु जमा किया परन्तु दिनांक-21.11.2016 को फंड इनसफिसिएन्ट दर्शाते हुए शाखा प्रबंधक द्वारा रिटर्न मेमोरी के साथ मेसर्स चौधरी को वापस कर दिया गया। ज्ञात हो कि ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं बागमती प्रखंड सीतामढ़ी के तत्कालीन मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता सहित कार्यालय के कर्मचारियों पर डुमरा थाना में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया जिसका कांड संख्या-332/16 है। परन्तु पुलिस द्वारा अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अतः मेसर्स रामसखा चौधरी के बकाए राशि का शीघ्र भुगतान एवं विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितता की निगरानी जाँच तथा एफ.आई.आर. में दर्ज लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र कराने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की माँग करता हूँ।	उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में विभाग द्वारा दिनांक 8-9-2016 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में विभाग द्वारा एल.पी.ए. दायर किया गया है। मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विचाराधीन है। साथ ही निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अधिकाई भुगतान हेतु चिन्हित दोषी पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं संवेदक के विरुद्ध सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा थाने में कांड संख्या 332/16 दिनांक 19-12-2016 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच प्रक्रियाधीन है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–06 / 2024– **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 185वें सत्र में उनके ज्ञापांक–217(6) दिनांक–12.02.2018 से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रश्न सं0–155 / 17 से उदभूत आश्वासन सं0–01 / 185 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–06 / 2024– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–06 / 2024– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(मुज0)–12–06 / 2024– 4466. पटना, दिनांक– 06/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
06/10/26